नाम न्यायालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 710/08 मुरली बनाम रामेश्वर

केस संख्या		
	18.6.18	वाद का० उप० ... हेतु ... चाहते हुए वास्ते ... वादी दिनांक 27-6-18 को पेश हो।
		सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि. आमेर मु. जयपुर
		आज दिनांक 27-6-18 को पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी ... पत्रावली ... दिनांक 12-7-18 को पेश हो।
		आज दिनांक 12-7-18 को पत्रावली पेश हुई। ... पत्रावली ... दिनांक 30-7-18 को पेश हो।
		आज दिनांक 30-7-18 को पत्रावली पेश हुई। पीठासीन ... अन्य राजकार्य पर/ ... पत्रावली दिनांक 9-8-18 को पेश हो।
		आज दिनांक 9-8-18 को पत्रावली पेश हुई। पीठासीन ... अन्य राजकार्य ... पत्रावली ... दिनांक 24-8-18 को पेश हो।
	ए०प्र० ... 10-11-2020	10/11/2020. पत्रावली आज माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर से निगरानी निस्तारण होने से प्राप्त होकर पेश हुई। प्रकरण में आज वादी द्वारा प्रार्थना पत्र श्याम लाल के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र आदेश 22-4, 9 सपठित 151 CPC प्रस्तुत किया जिसके साथ ही संशोधित अस्थाई प्रार्थना पत्र पेश किया वकील प्रार्थी किवी प्रतिवादीगण ... प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के वकील ... सहमत होने से प्रा०पत्र आदेश 22-4 ... स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण की ओर से श्री बनवारी ... ने वकालतनामा व राजीनामा पेश किया, उपस्थित वादीगण ...

मुझे ... हस्ताक्षर

Vaji Lahoed by ...

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.02.11 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यालय : – सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर

फर्द अहकाम **न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक आमेर मु० जयपुर**

मुरली बनाम रामलाल

7/10/08

(20)

	विशेष विवरण
प्रतिवादीगण तथा इनके अभिभाषकगणो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा पत्रावली पर बतौर सहमति हस्ताक्षर कर राजीनामा स्वीकार करने की प्रार्थना की है। अतः प्रस्तुत लिखित राजीनामा स्वीकार किया जाता है। मुताबिक राजीनामा पक्षी डिक्री जारी हो। इस डिक्री का प्रस्तुत राजीनामा अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम हो। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.02.11 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

आँ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी

21

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या 710/2008/ दावा

संख्या 710/2008 निर्णय दिनांक 10.11.2020

मुरली दत्तक पुत्र लालचंद (मृतक)
1/1 अनिल कुमार पुत्र मुरली
1/2 मुकेश कुमार पुत्र मुरली

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डीसा तहसील आमेर जिला जयपुर

——वादीगण

बनाम

रामेश्वर पुत्र जोहरी लाल
श्याम लाल पुत्र जोहरी लाल (मृतक)
2/1 अशोक कुमार
2/2 रामजी लाल
2/3 राजेन्द्र कुमार पुत्रान स्व0 श्याम लाल
2/4 संतोष देवी
2/5 कमला देवी
2/6 विमला देवी
2/7 कामिनी देवी पुत्रीया स्व0 श्याम
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डीसा तहसील आमेर जिला जयपुर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 10.11.2020

मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाता है, तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 168/332 रकबा 0.40 है0 भूमि जो हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसान के नाम दर्ज है की खातेदारी वादी संख्या 1/1 व 1/2 के नाम कर दी जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसान का नाम खातेदारी से हजफ किया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो। प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.11.2020 को जारी किया ।

दस्तखत——10/11/2020
ओहदा——

10/11/2020
सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.02.11 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

Scanned with CamScanner